# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## दिसम्बर, 2020 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

**बुधवार,दिनांक 23 दिसम्बर,2020 (पौष 2,1942)**

**समय 11:00 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 17–5/2019/एक–13, दिनांक 31 अगस्त, 2020 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 87/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2020, दिनांक 13 जुलाई, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 86/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2020, दिनांक 15 मई, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम, 2020 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 85/सी.एस.ई.आर.सी./2020, दिनांक 17 जनवरी, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 पटल पर रखेंगे।

(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 पटल पर रखेंगे।

(6) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 (दिनांक 01.04.2014 से 31.05.2015) पटल पर रखेंगे।

क्रमशः .......... 2

(7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2019–20 पटल पर रखेंगे।

(8) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा), रायपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 पटल पर रखेंगे।

(9) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1–22/2014/32, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 पटल पर रखेंगे।

(10) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक –

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 5–10/आठ–परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020.

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 5–06–01/आठ–परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020.

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 5–06–02/आठ–परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 तथा

(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 5–06–03/आठ–परि./2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020.

पटल पर रखेंगे।

(11) श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 66 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा देय विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों के लिये वेतनमान सहित अर्हताएं एवं सेवा शर्तों संबंधी अध्यादेश क्रमांक–31 पटल पर रखेंगे।

(12) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 पटल पर रखेंगी।

## 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में कोरोना (कोविड–19) के प्रकोप से मरीजों की मौतें होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, एमएसपी स्टील एवं पावर लिमिटेड, रायगढ़ द्वारा बिना अनुमति के पेड़ों की अवैध कटाई एवं सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः ......... 3

## 4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम सेमरा (बी) से दोनर मार्ग में पुलिया निर्माण करने तथा

(ii) ग्राम खम्हरिया से अंगारा मार्ग में पुलिया निर्माण करने

(2) श्रीमती ममता चन्द्राकर, सदस्य, पण्डरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम सुकतरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा

(ii) ग्राम पंचायत बीजाबैरागी से आश्रित ग्राम डोमाटोला के बीच कर्रा नदी पर पुलिया निर्माण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगी।**

(3) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम भड़ोरा से खैरझिटी के बीच बोराई नदी पर स्टॉपडेम निर्माण करने,

(ii) ग्राम आमगांव में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने,

(4) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जांजगीर व चांपा नगर के मध्य स्थित हसदेव नदी पर नये पुल का निर्माण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

## 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 31 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(4) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

क्रमशः .......... 4

## 7. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

## 8. शासकीय संकल्प

निर्धारित समय
1 घंटे

श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग, मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि ''भारत सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला–बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश के नाम पर प्रस्तावित निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त किया जाये।''

## 9. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट (1) प्रदेश में हाथियों का उत्पात एवं हाथियों की मौत होने के संबंध में श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, चर्चा उठायेंगे।

1 घंटा 30 मिनट (2) प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना 2015 के तहत् प्रदेश के सभी हितग्राहियों को संबद्ध लक्ष्यों के साथ लाभान्वित किये जाने के संबंध में श्री अजय चंद्राकर, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

**रायपुर,**
**दिनांक 22 दिसम्बर,2020**

**चन्द्र शेखर गंगराड़े**
**प्रमुख सचिव**
**छत्तीसगढ़ विधान सभा.**